Form No:5278

Office of the District Basic Education Officer

SONBHADRA

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **RASHTRIYA HIGHER SECONDARY SCHOOL,Polwa Hirachak Duddhi Sonbhadra** is permanently recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number alloted to RASHTRIYA HIGHER SECONDARY SCHOOL is **SON0970928163.**The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	15-09-2023(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Pre-Primary School and Primary School
5.Recognition No.	SON0970928163

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सोनभद्र

DATE:- 15-09-2023

PLACE:- SONBHADRA

District Basic Education Officer

Digitally signed by NAVEEN KUMAR PATHAK
Date: 2023.09.15 19:35:29
Reason: For Digital Signature
Location: SONBHADRA

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Signed using www.Signer.Digital WebLib

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
सोनभद्र।

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
शक्ति उच्चा० वि० ...

पत्रांक / मा0 / जू0हा0 / 1234-1237 / 2013-14 दिनांकः 5-6-13

विषय– **जूनियर कक्षायें 6 से 8 के संचालन की अनुमति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक / ....N.A..... / 2011-12 दिनांक 20-9-11 द्वारा विद्यालय में कक्षा 9, 10 की मान्यता के फलस्वरूप विद्यालय में जूनियर कक्षाओं (कक्षा 6 से 8) हेतु उपलब्ध कक्षाकक्ष एवं प्रयोगशाला की उपलब्धता के आधार पर कक्षा संचालन हेतु अनुमति की मांग की गयी है।

अतः विद्यालय में सीधे कक्षा 9, 10 की मान्यता के अतिरिक्त उपलब्ध कक्षाकक्ष एवं प्रयोगशाला (जूनियर हेतु) के आधार पर परिषद के विज्ञप्ति सं0 9/160 दिनांक 08जून 2011 एवं विज्ञप्ति संख्या–परिषद–9/283 दिनांक 26जुलाई 2011 के अनुसार इण्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम 1921 अध्याय–सात विनियम 05 में आंशिक सशोधन के उपरान्त धारा–16(2) के अन्तर्गत विनियम–5 (18)(अ) के बिन्दु 'ड़' के क्रम में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षायें संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। विद्यालय में बेसिक शिक्षा अधिनियम–1972 के प्रावधान लागू नहीं होगे एवं विद्यालय में प्राइमरी कक्षायें मान्य एवं सचालित नहीं होंगी।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

जिला विद्यालय निरीक्षक,
सोनभद्र।

पृष्ठांकन सं0 / मा0 / जू0हा0 / / 2013-14 दिनांकःउक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित----

1– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी।
3– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
सोनभद्र।

DIOS Sonbhadra/chakravorty/3011

26
01.01.04

रजिस्टर्ड

हाईस्कूल परीक्षा

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
राष्ट्रीय उ0मा0विद्यालय,
पोलवा हीराचक महुली, सोनभद्र ।

पत्रांकः मा0शि0प0/मान्यता/वाराणसी/ 2048 /दिनांकः 22-12-2003

विषयः सीधें/हाईस्कूल नवीन की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासन ने राजाज्ञा संख्याः 2991/15-7-4(2400)/2001 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 9(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था राष्ट्रीय उ0मा0विद्यालय, पोलवा हीराचक महुली, सोनभद्र को इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम 1987 की धारा 7(क) (ग) के प्रावधानों को प्रबंधतंत्र द्वारा बिना शर्त अंगीकार करने की दशा में बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की हाईसकूल परीक्षा वर्ष 2005 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्त-विहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया हैः-

सामान्य प्रतिबन्ध

1- प्रबन्धतंत्र कक्षा 9 की कक्षायें संचालित करने पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्ध की पूर्ति तथा विद्यालयों के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें ।

2- इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय। अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

3- साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय ।

4- इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने श्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था- उत्तरदायी होगी ।

5 विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने श्रोतों से की जाय ।

6- नवीन कक्षाएं संचालित कराने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगें ।

विशेष प्रतिबन्ध

क-- संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता संबंधी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ।

ख-- पत्रांक मा0शि0प0/मान्यता/1241 दिनांक 23.9.2002 में क्रम 4 से 8 पर अंकित

टिप्पणी-- इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति छः माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।
सभी प्रमाण पत्र एक वर्ष के भीतर निरीक्षक के माध्यम से भेजें ।

ग- सभी प्रमाण पत्र समयान्तर्गत प्राप्त न होने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय
22/12/03
क्षेत्रीय सचिव

पृष्ठांकन संख्याः मा0शि0प0/मान्यता/ /दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला विद्यालय निरीक्षक सोनभद्र ।
2- सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मीरजापुर ।
3- हाईस्कूल परीक्षा संस्थागत अनुभाग वाराणसी ।
4- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा
परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय,
वाराणसी ।

पी0एस0यू0पी0 (वा0)--57 मा0शि0प0--18-9-2000 40,000 (कम्प्यू0/आफ0) ।